न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 98/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 15.09.2025 निर्णय दिनांक : 28.10.2025

उनवान

1. भैरूराम कुम्हार पुत्र छाजूराम कुम्हार, निवासी बहादुरपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।
2. कल्याणसिंह पुत्र प्रभूसिंह,
3. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी बहादुरपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान। हाल निवासी प्लाट नम्बर 32ए, जगदम्बा कॉलोनी, हरनाथपुरा कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान। .....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री हीरालाल रावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गोपाल टांक अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर सें।

।। निर्णय ।। दिनांक–28.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष वाद अनुवानी कल्याणसिंह वगै0 बनाम भैरूराम वगै0 प्रकरण संख्या 65/2020 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल टांक ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और वादीगण ऐलानियां कह रहे है कि एस.डी.एम. साहब विराटनगर से हमारी बात हो गई है तथा प्रकरण का हमारे पक्ष में फैसला करेगे । वादीगण द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से मिन प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मिन प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से छोटी छोटी तारीखे दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी पूरी तरह से वादीगण के प्रभाव में है तथा वादीगण के हक में फैसला करना चाहते है। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एंव उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एंव पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नही किया गया तो माननीय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर वादीगण के हंक में दावा व टी.आई. का फैसला कर देगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुवानी कल्याणसिंह वगैरह बनाम भैरूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 65/2020 जिसके संलग्न टी.आई. 212 आर.टी.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनरगर को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तलिक किये जाने की कृपा करे।
5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस के दौरान मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सरासर गलत, झूठे एवं मनघडन्त है इनका वास्तविक्ता से कोई सरोकार नही है प्रार्थी ने मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि पर नाजायज रुप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थीगण जो बाहर जयपुर रहते है कि अनुपस्थिति का नाजायज रुप से फायदा उठाते हये उनकी खातेदारी भूमि जो मन्दिर की भूमि हाल खसरा नम्बर 426 से लगते हुये पश्चिम दिशा में स्थित है को दबाकर करीबन 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने नाप नपत करवाने के बाद दावा सीमा निश्चयकरण स्थायी निषेधाज्ञा बेदखली

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व धारा 118, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का पेश किया है जो अभी साक्ष्य वादी की स्टेज पर ही है अभी किसी भी पक्ष की साक्ष्य नही हुई है तथा प्रकरण में निर्णय जैसी कोई स्टेज अभी है ही नही प्रार्थी ने केवल लम्बित करने के लिये ही उक्त प्रार्थना पत्र गलत रुप से पेश किया है ताकि अतिक्रमण की हुई भूमि पर उसका कब्जा बरकरार बना रहे प्रकरण को 5 वर्ष से ज्यादा पुराना है और केवल मामला नाप नपत पत्थरगढी जैसा ही है दोनो की सीमाओ का निर्धारण होना है इसमें जितनी भूमि खातेदारी में दर्ज है उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को चाहिए इसलिये भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारीज फरमाया जावे।

6. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/555 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को कोई सरोकार नहीं है एवं लगाये गये आरोप निराधार व मनगढन्त है। विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित की जाता है तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को कोई भी आपत्ति नहीं है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद काफी पुराना है और वास्ते साक्ष्य वादी हेतु लंबित है। वकील प्रार्थी द्वारा मात्र कयास के आधार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है। मात्र कयास के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करना न्यायोचित नहीं समझते है। प्रकरण में दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपुतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़